

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-08.06.2026

विषय :- राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों को विशेष शिविर (दिनांक-11.06.2026 से दिनांक-17.06.2026) के माध्यम से स्कैनिंग एवं अपलोड करने के साथ उसका निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-2786(9A), दिनांक-29.07.2025, पत्रांक-3238(9A), दिनांक-08.09.2025, पत्रांक-3664(9A), दिनांक-04.12.2025 एवं पत्रांक-204(9A), दिनांक-21.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राज्य के रैयतों का जमीन संबंधी अभिलेखों में सुधार तथा उत्तराधिकार/बटवारा के आधार पर नामांतरण का आवेदन संग्रहित करने हेतु दिनांक-16.08.2025 से दिनांक-20.09.2025 तक राजस्व महा-अभियान का आयोजन किया गया। उक्त महा-अभियान के तहत राज्य के सभी हल्का में शिविर का आयोजन कर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों निराकरण/छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने/उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation)/बटवारा आधारित नामांतरण आदि से संबंधित कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त किये गये।

राजस्व महा-अभियान के अगले चरण में प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने एवं इसके निष्पादन की कार्यवाही की जानी है। आवेदनों की स्कैनिंग एवं पोर्टल पर अपलोडिंग हेतु विभाग स्तर से अनेक पत्रों के माध्यम से निदेश संसूचित किया गया है। अद्यतन रूप से विभागीय पत्रांक-3664(9A), दिनांक-04.12.2025 एवं पत्रांक-204(9A), दिनांक-21.01.2026 के माध्यम से राजस्व महा-अभियान में प्राप्त 46 लाख आवेदनों को स्कैनिंग एवं अपलोडिंग के उपरांत दिनांक-31.03.2026 तक निष्पादित किये जाने का दिशा-निदेश संसूचित है। तथापि, आवेदनों की स्कैनिंग एवं अपलोडिंग का कार्य अबतक पूर्ण नहीं किया जा सका है।

अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों में से 81.91 प्रतिशत आवेदनों को स्कैन किया गया है, जबकि मात्र 26.43 प्रतिशत आवेदन ही संबंधित पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं। यह स्थिति चिंताजनक है।

अतएव राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह का विशेष शिविर आयोजित कर निष्पादित किया जाना आवश्यक है। विशेष शिविर का आयोजन अंचल स्तर पर दिनांक-11.06.2026 से दिनांक-17.06.2026 (रविवार सहित) तक किया जाना है। शिविर के माध्यम से निम्नांकित कार्यवाही की जानी है :-

- (1) महा-अभियान दौरान प्राप्त आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग।
- (2) शत-प्रतिशत आवेदनों को संबंधित पोर्टल पर अप्लाई करना
- (3) आवेदनों का निष्पादन।

विशेष शिविर में आवेदनों की स्कैनिंग/अपलोडिंग एवं निष्पादन कार्य में सभी जिलों (शिवहर/शेखपुरा/लखीसराय/जहानाबाद एवं अरवल को छोड़कर) के विशेष सर्वेक्षण अमीनों को भी लगाया जाय। इस कार्य को पूर्ण कराना संबंधित अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

अतः अनुरोध है कि राजस्व महा-अभियान अवधि में प्राप्त आवेदनों की स्कैनिंग/अपलोडिंग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वसभाजन

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-1518(9A)/रा0, पटना-15, दिनांक- 08.06.2026
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय, आयुक्त/ सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/ सभी अंचल अधिकारी/सभी राजस्व अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-1518(9A)/रा0, पटना-15, दिनांक- 08.06.2026
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य प्रदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/राजस्व महा-अभियान 07-11/2025-1518(9A)/रा0, पटना-15, दिनांक- 08.06.2026
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।